

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-137/2021

धारा-144 दं०प्र०सं०

बिसुनी देवी -बनाम- केदार गोस्वामी वगै

तारीख

-:आदेश:-

अभियुक्ति

वाद काल बाधित हो चुका है।  
वाद की कार्यवाही बिना प्रभावी आदेश के समाप्त  
किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बरही, हजारीबाग



अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बरही, हजारीबाग